न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 419/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–वादी

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र खेताराम
2. औमप्रकाश पुत्र अमरसिंह
3. मंजू पत्नी औमप्रकाश
4. प्रियंका पुत्री औमप्रकाश
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

(1 से 4) समस्त जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादी
2. श्री विवेक बुडानिया –वकील प्रति 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :– 5.8.2024

वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत पेश किया कि वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 4 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है कि प्रतिवादी स 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 15 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/71 मे 4.814है व चक न 13 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता 4/23 मे 0.595है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त खाता की जमाबदी सलग्न वाद पत्र है। कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादी प्रतिवादी स 1 का पौत्र व प्रतिवादी स 2 व 3 का पुत्र है प्रतिवादीया स 4 वादी की सगी बहिन है कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 4 एक हि हिन्दू परिवार के सदस्य है कि प्रतिवादी स 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 15 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/71 मे 4.814है व चक न 13 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता 4/23 मे 0.595है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि प्रतिवादी स 1 को अपने पिता खेताराम से विरासतन प्राप्त हूई है। उक्त प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज भूमि मे वादी व प्रतिवादी स 4 का प्रतिवादी स 1 व 2 के वराबर विरास्तन हक व हिस्सा जन्म से बनता है वादी व प्रतिवादी स 2 ता 4 ने वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि का घरू बंटवारा काफी समय पूर्व प्रतिवादी स 1 के साथ कर लिया है मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी स 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि अन्य खाता मे पूर्व मे प्राप्त कर लिया है व प्रतिवादी स 4 ने अपने हक [illegible] वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष मे ब.हि.ब रूप से कर दिया है अब उक्त खाता मे [illegible] वादी [illegible] व 4 का कोई कब्जा काश्त व हिस्सा शेष नही रहा है किन्तू उक्त भूमि प्रतिवादी स 1 [illegible] दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के सिंव बंट व रकम [illegible] इसलिए वादी उपरोक्ता अनुसार उक्त वाद पत्र की [illegible] स 2 मे [illegible] का खातेदार काश्तकार घोषित करवा अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है वादी व प्रतिवादी स 1 व 3 के कब्जा काश्त व हक व हिस्सा की भूमि निम्न प्रकार से है

(क) वादी अभिषेक के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि
चक न 15 पी.टी.पी खाता स 4/71

प.न मु.न कि.न

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

117/148	39	10,11,20,/0.253है प्र 21/0.127है
116/148	40	6/0.253 हे, 7/1/0.007 हे 15,16,/0.253है प्र 25/0.126है

चक न 13 पी.टी.पी खाता स 4/23

प.न	मु.न	कि.न
120/150	46	1/1/0.228है ,1/2/0.025है गे.मु.रास्ता 2/0.253है ,3/1/0.089है

कुल–2.373है मय गे.मु

(ख) प्रतिवादी स 1 अमरसिंह के कब्जा काश्त की कृषि भूमि

चक न 15 पी.टी.पी खाता स 4/71

प.न	मु.न	कि.न
117/148	39	21/0.126है
116/148	40	25/0.127है
116/149	41	5,6/0.253है प्र
117/149	42	1/0.253है
119/149	44	25/1/0.228है,25/2/0.025है गे.मु.खा

कुल–1.265है मय गे.मु

(ग) प्रतिवादीया स 3 मंजू के कब्जा काश्त की भूमि

चक न 15 पी.टी.पी खाता स 4/71

प.न	मु.न	कि.न
188/149	43	10/0.253है
117/149	42	2/0.253है 6/1/0.228है ,6/2/0.025 गे.मु.रा 7,8,9,10/0.253है प्र

कुल–1.771है मय गे.मु

कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 4 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा खाता अलग से कायम करवा दो तो प्रतिवादी स 1 पहले तो टाल मटोल करते रहा किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि वाद पत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो उचित 4/–रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। की प्रतिवादी संख्या 5 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें। (क) कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 3 का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किया जावे। (ख) कि चक न 15 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/71 मे वादी अभिषेक को 1.778है व प्रतिवादी स 3 मंजू को 1.771है का खातेदार [illegible] घोषित कर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जावे व चक न 13 पी.[illegible] 2073–2076 के खाता स 4/23 मे वादी को 0.595है का खातेदार [illegible] खाता से प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 11:57:58
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार [illegible] रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता. 4 ने सहमति का जवाव दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 5 का तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाव दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल प्रत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादी ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दर्षाया गया। तथा जं.बं. चक न 15 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/71 व चक न 13 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता 4/23 कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 3 का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किया जाकर चक न 15 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/71 मे वादी अभिषेक को 1.778है व प्रतिवादी स 3 मंजू को 1.771है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जावे व चक न 13 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/23 मे वादी को 0.595है का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा वकील वादी के कथनो कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी और प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 किये गए बहस में वकील प्रतिवादी स 1 ता 4 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 ता 2 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता हैं कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 3 का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किया किया जाता है व चक न 15 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/71 मे वादी अभिषेक को 1.778है व प्रतिवादी स 3 मंजू को 1.771है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है व चक न 13 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/23 मे वादी को 0.595है का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जाता है

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 419/2024

वाद पत्र अं.धारा :– 88/53 आरटीए

अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–वादी

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र खेताराम
2. औमप्रकाश पुत्र अमरसिंह
3. मंजू पत्नी औमप्रकाश
4. प्रियंका पुत्री औमप्रकाश
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

समस्त जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 5.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक क्लेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री विवेक बुडानिया वकील प्रतिवादी स 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 3 का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किया किया जाता है व चक न 15 पी.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/71 मे वादी अभिषेक को 1.778है व प्रतिवादी स 3 मंजू को 1.771है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है व चक न 13 पी.टी. पी ज.स 2073–2076 के खाता स 4/23 मे वादी को 0.595है का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जाता है वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

(क) वादी अभिषेक के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि

चक न 15 पी.टी.पी खाता स 4/71

प.न	मु.न	कि.न
117/148	39	10,11,20,/0.253है प्र 21/0.127है
116/148	40	6/0.253 है, 7/1/0.007 है 15,16,/0.253है प्र 25/0.126है

चक न 13 पी.टी.पी खाता स 4/23

प.न	मु.न	कि.न
120/150	46	1/1/0.228है ,1/2/0.025[illegible] 2/0.253है ,3/1/0.089है

कुल–2.373है मय गे.मु

(ख) प्रतिवादी स 1 अमरसिंह के कब्जा काश्त की कृषि भूमि

चक न 15 पी.टी.पी खाता स 4/71

प.न	मु.न	कि.न
117/148	39	21/0.126है
116/148	40	25/0.127है

116/149	41	5,6/0.253है प्र
117/149	42	1/0.253है
119/149	44	25/1/0.228है,25/2/0.025है गे.मु.खा

कुल–1.265है मय गे.मु

(ग) प्रतिवादीया स 3 मंजू के कब्जा काश्त की भूमि

चक न 15 पी.टी.पी खाता स 4/71

प.न	मु.न	कि.न
188/149	43	10/0.253है
117/149	42	2/0.253है
		6/1/0.228है ,6/2/0.025 गे.मु.रा
		7,8,9,10/0.253है प्र

कुल–1.771है मय गे.मु खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावें।

निल X नल X मुब्लिक X निल X बाबत X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.8.2024 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.07 11:57:58 IS
Reason: SelfAttested